<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एश्शल श्याम टेक्नोलोजी लि0, सी-34, सेक्टर-62, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**48 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-48 / 11, दिनांक 11.04.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से यह जानना चाहा है कि **विदेश से आयातित वस्तुएं इलैक्ट्रानिक गुड्स आदि के परिवहन पर फार्म-21 की बाध्यता** है अथवा नहीं ?

2. फर्म की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है तथा टिन नम्बर-09766200641 है। डाक से एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके प्रार्थना-पत्र का निस्तारण उनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कर दिया जाय।

व्यापारी द्वारा यह जानना चाहा गया है कि विदेश से आयातित वस्तुएं इलैक्ट्रानिक गुड्स आदि के परिवहन पर फार्म-21 की बाध्यता है या नहीं।

3. कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (a) (b) (c) (d) (e) की विषय वस्तु नहीं है। अत: व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 जून, 2011

ह0 / 14.06.2011

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।